

कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

पत्रांक:- 174 दिनांक:- 10-2-16

सेवा में,

प्रधान सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड, राँची।

विषय :- मेदिनीनगर वन प्रमंडल अन्तर्गत अमानत बराज से कैनल निर्माण हेतु
127.85 हे० वन भूमि अपयोजन के संबंध में।

प्रसंग :- (i) क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू, मेदिनीनगर का पत्रांक 2985 दिनांक
02.11.2015
(ii) क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू, मेदिनीनगर का पत्रांक 270 दिनांक
25.01.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू, मेदिनीनगर के उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र (i) (छायाप्रति संलग्न) द्वारा मेदिनीनगर वन प्रमंडल के अन्तर्गत अमानत बराज से 90 किलोमीटर कैनल निर्माण हेतु 127.85 हे० अधिसूचित वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव MoEF की Website पर Online अपलोड करते हुए एवं उसकी हार्ड कॉपी पाँच प्रतियों में प्राप्त हुआ था। इसके क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 1245 दिनांक 30.11.2015 द्वारा यह पृच्छा की गयी थी कि प्रस्तावित 127.85 हे० वनभूमि के अतिरिक्त सन्निहित 481.189 हे० गैर वनभूमि जंगल-झाड़ी किस्म का है अथवा नहीं? इस बिन्दु को स्पष्ट कराते हुए लैण्ड सिड्यूल की मांग क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू, मेदिनीनगर से की गई थी। उक्त के आलोक में क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू, मेदिनीनगर के उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र (ii) (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्रतिवेदित किया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा फार्म-A पार्ट-I में प्रस्तावित 127.85 हे० वनभूमि के अतिरिक्त सन्निहित 481.189 हे० गैर वनभूमि को संशोधित कर 439.24 हे० कर दिया गया है। संशोधित 439.24 हे० गैर वनभूमि का ग्रामवार Detailed land schedule में जंगल-झाड़ी किस्म का जमीन सन्निहित नहीं है। (संशोधित फार्म-A पार्ट-I संलग्न है।)

विषयगत प्रस्ताव के संबंध में क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार निम्नलिखित विवरण प्रतिवेदित किया जाता है :-

1. प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विहित प्रपत्र Form 'A' Part I में परियोजना से संबंधित सभी विवरण अंकित किए गए हैं।

2. Justification for location of the forest area प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
3. National Committee of Environment Planning की प्रति संलग्न है।
4. Part-II में वन प्रमंडल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमंडल का प्रतिवेदन/मंतव्य अंकित है। साथ ही स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है।
5. Part-III में वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर की अनुशंसा अंकित है।
6. क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू, मेदिनीनगर का अनुशंसा Part III A में अंकित है एवं स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
7. प्रस्ताव के साथ 1:50,000 स्केल के टोपोशीट पर प्रस्तावित वन भूमि का रेखाकन लाल रंग से दर्शाया गया है।
8. वन प्रमंडल से संबंधित प्रस्ताव के साथ लागत लाभ विश्लेषण संलग्न है।
9. FRA, 2006 के तहत संबंधित दावा संबंधी प्रक्रिया पूर्ण करने की सूचना तथा तत्संबंधी उपायुक्त, पलामू द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न है।
10. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित वन भूमि के विरुद्ध 323.57 एकड़ (131.00 हे०) उपलब्ध करायी गयी वन भूमि का विवरण प्रतिवेदन एवं दस वर्षीय क्षतिपूरक वनरोपण योजना प्राक्कलन संलग्न है।
11. प्रस्तावित वन भूमि पर प्रजातिवार अवस्थित वृक्षों की गणना सूची संलग्न है।
12. क्षतिपूरक वनरोपण तथा NPV राशि का भुगतान करने की वचनबद्धता प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी गयी है।
13. अपयोजित होने वाले वन भूमि एवं क्षतिपूरक वनरोपण हेतु भूमि का कैडेस्ट्रल मानचित्र पर संलग्न है।
14. प्रस्तावित वन भूमि की विस्तृत विवरणी PF wise/Plot wise रकबा निम्नवत् है :-

Details of Forest land PF wise/Plot wise to be Diverted

Breakup & Forest Land				
Sl. No.	PF	Forest Land (ha.)	Plot No.	Area in ha.
1	2	3	4	5
1	Sildiliya Khurd	6.51	31	2.32
			854	4.19
2	Sildiliya Kala	2.39	45	0.97
			1305	1.42
3	Gorwatand	10.8	43	6.66
			44	4.14
4	Bajalpur	8.22	336	2.51
			1721	0.41

			1723	2.43
			43	2.87
5	Panchrukhiya	7.85	176	7.85
6	Lalgar	3.53	141	2.23
			3	1.3
7	Dhuma	15.38	KRF	15.38
8	Sewati	5.91	719	5.91
9	Saraidih	6.87	20	6.31
			13	0.16
			39	0.16
			30	0.24
10	Chilhoi	3.85	1	3.85
11	Bhalugari	7.61	3	2.73
			4	4.88
12	Tariyan	8.18	9	8.18
13	Sonpurwa	5.69	79	4.89
			62	0.8
14	Kanaudi	8.54	91	4.57
			92	3.97
15	Boradah	7.2	14	2.46
			16	4.74
16	Kararkala	0.49	1135	0.49
17	Chetma	12.9	1214	1.1
			1215	0.89
			1218	0.77
			1234	0.12
			1234	0.57
			1236	0.4
			1237	3.16
			1238	0.16
			1255	1.42
			1317	0.12
			1318	0.12
			1321	0.32
			1322	2.3
			1323	0.89
			1324	0.28
			1324	0.28
18	Imlikhas	5.93	1769	0.2
			1773	5.73
G.Total				127.85

15. अद्योहस्ताक्षरी का अनुशंसा Part-IV पर संलग्न है, इसे Online Upload कर दिया गया है।

प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची का अनुमोदन प्राप्त है।

अतः प्रस्ताव एवं गैर वनभूमि का ग्रामवार Detailed land schedule की चार-चार प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि सैद्धांतिक सहमति हेतु अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

16-07-16

PART -IV

(To be filled in by the Nodal officers or Principal Chief Conservator of Forest or Head of Forest Department)

AMANAT BARRAGE SCHEME, 127.85 ha.

17. Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance or otherwise of the proposal with remarks.

(While giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forest or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed critically commented upon) :-

Recommended for diversion of 127.85 ha. Forest land.

Date :- 10.02.2016

Place :- Ranchi

Signature

(ARUN KUMAR PRABHAKAR)

Nodal Officer

Name & Designation

Principal Chief conservator of Forests

-cum-Executive Director

Waste Land Development Board

Jharkhand, Ranchi

(Official Seal)